इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 133] भोपाल, शनिवार, दिनांक 6 मार्च 2021—फाल्गुन 15, शक 1942

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 6 मार्च 2021

क्र. बी–15–00003–2021–चौदह–2.—इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक डी–15–13–2011–14–3, दिनांक 05 सितम्बर 2011 द्वारा कृषि उपज मंडी समिति, आष्टा जिला सीहोर के ''क्षेत्र'' को सीहोर की जावर मंडी क्षेत्र ''उक्त क्षेत्र को'' ''उक्त क्षेत्र'' से विपाटित करके स्वतंत्र मंडी घोषित किया गया है.

मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 76(2), (3) के अनुसार कृषि उपज मंडी समिति आष्टा एवं जावर की आस्तियों एवं दायित्वों के विभाजनार्थ प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) आष्टा से प्राप्त हुआ है. कृषि उपज मंडी समिति आष्टा द्वारा नव गठित कृषि उपज मंडी समिति जावर को अधिक राशि व्यय किये जाने के कारण कोई राशि नहीं दिये जाने की अनुशंसा की गई है.

अत: राज्य शासन एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 76(2), (3) का प्रयोग करते हुए, कृषि उपज मंडी समिति आष्टा द्वारा नव गठित कृषि उपज मंडी समिति जावर को अधिक राशि व्यय किये जाने के कारण कोई राशि नहीं दिये जाने की सूचना जारी करती है.

किसी भी ऐसी आपत्ति या सुझाव पर जो लिखित में किसी व्यक्ति से, इस अधिसूचना के ''मध्यप्रदेश राजपत्र में'' प्रकाशित होने के दिनांक 06 सप्ताह की कालावधि के भीतर प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, भोपाल द्वारा प्राप्त हो, राज्य सरकार द्वारा विचार किया जावेगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
दिलीप कुमार, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 6 मार्च 2021

क्र. बी–15–00003–2021–चौदह–2.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना, दिनांक 6 मार्च 2021 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
दिलीप कुमार, अपर सचिव.

Bhopal, the 6[th] March 2021

No. B-15-00003-2021-XIV-2.—Whereas by this department Notification No. D-15-11-2011-XIV-3 dated 5th September, 2011, the Asta comprising of Asta Tehsil as its market area has been declared as in independent Market after splitting from the markeyt area of Jawar district Sehore.

As specified in Section 76(2), (3) of Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973) Sub Divisional Megistrate, Asta has been apportionment of the assets and Liabilities between the Krishi Upaj Mandi Committees Asta and Jawar Apportion officer has no recomonded the any amount of to be released by the Krishi Upaj Mandi Committee Asta to Newly Constituted Krishi Upaj Mandi Committee Jawar.

Therefore, in exercise of the powers conferred by Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973), in the Section 76(2), (3) the State Government hereby issue notice to make no Payment of by Krishi Upaj Mandi Committee Asta to Newly Consytityuted Krishi Upaj Mandi Committee Jawar.

Any objection which may be received in writing by the Principal Secretary to Government of Madhya Pradesh, Farmer Welfare and Agriculture Development Department, Bhopal from any person with respect to this Notification within Six weeks from the date of publication of this Notification in the "Madhya Pradesh Gazette" will be considered by the State Government.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
DILIP KUMAR, Addl. Secy.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2021.